

२५.११-१८/२०१६/१५-१

प्रति
निदेशित
१९/११/१६

संचालनालय

किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

पं. - (अ-१)

पं. ६५२

दि. २३-०२-१६

①

एकल नस्ती क्रमांक/अ-३-ब/स्था./०६-२०१६

विषय:- याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.२००६९/२०१५ द्वारा श्री जीवन सिंह ठाकुर,
सेवानिवृत्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य।

याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.२००६९/२०१५ द्वारा श्री जीवन सिंह ठाकुर,
सेवानिवृत्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य द्वारा
माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका दायर की गई है।

याचिका में शासन की ओर से प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु उप संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला-सीहोर मध्यप्रदेश को प्रभारी अधिकारी
नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश प्रारूप की १० स्वच्छ प्रतियां, याचिका की
प्रति के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रभारी अधिकारी का
आदेश जारी होने के उपरांत याचिका का प्रतिरक्षण करने हेतु विधि विभाग के माध्यम
से शासकीय अधिवक्ता को निर्देश प्रसारित करने हेतु कृपया नस्ती विधि विभाग को
अंकित करना चाहेंगे।

अवर सचिव,
म०प्र० शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

५०(स्था.)

संयुक्त संचालक (स्थापना)

१९/१२/१६

१९/१२/१६

जा-५-८१
१८-२-१६

(2)

रूप. 11-18/2016/14-1

एकल नस्ती क्रमांक/अ-3-ब/स्था./06-2016

विषय:- याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.20069/2015 द्वारा श्री जीवन सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अ.

पूर्व पृष्ठ से आगे:-

पूर्व पृष्ठ से:-

कृषि समुह संस्थान संचालक (स्थापना) संचालनालय

किसान कल्याण तथा कृषि विकास से प्राप्त विषयान्तर्गत

प्रस्ताव का अनुमोदन करें। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला स्पीडर को इस संबंध में प्रभावी अधिकारी

निमुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

तदनुसार अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनु. अधिकारी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

५/

26/2/16

उप सचिव

26/2/16

सर 'अ' अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

23/2/16

प्रमुख सचिव

(क) थपामत्तारि।

Ds(G)

29/2/16

USL (या.)

01/3/16

01/03/16

01/03/16

मी. धनराज 01/03/16

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:- मशीनका क्रमांक उल्मु.पी. 20069/2015 द्वारा
श्री जीवन सिंह ठाकुर विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

मंत्री.जी. इचि
का विभाग

शर्त दल से:-

कृपया शर्त दल-2 में अनुमोदन किये
अनुसार प्रभारी अधिकारी के निर्धारित संबंधी
भादेश की दबबद्ध प्रतिमां हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

2/3/16

2/3/16

अनु. अधिक.

कृपया जारी करने के शर्त अवलोकनार्थ।

उप सचिव.

2/3/16

4/3/16

US/L.चा.)

4/3/16

50-1

4/3/16

532-33

5/3/16

5/11/16
4/9/16
4/9/16
4/9/16

(5)

दि. 11-18/2016/14-1

365-AM /PSIFWAD
No. 107346
Date 10/3/16

विषय:-भा.च.का.क.मां.क. उ.व.पु.पी. 20069/2015 द्वारा
सी जीवन सिंह ठाकुर विरुद्ध म. प्र. शासन एवं अन्य।

मंजो.जी. इ.पि.
का विभाग

प्रतिपक्ष से:-

प्रभारी अधिकारी के निम्नलिखित के आदेश जारी कर दिये गये हैं। प्रतिरक्षण आदेश जारी किये जाने के संबंध में कृपया विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

P-20/C

अनु. आदेश

आदेश सचिव (अ.का.का.)

उपसचिव (अ.)

स.प्र. प्रतिरक्षण आदेश हेतु प्रकरण विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

प्रमुख सचिव

प्रतिरक्षण आदेश लेनगती अंकित

प्रमुख सचिव (विधि)

10/3/16

(डॉ. राजेश रथ)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल

प्रतिरक्षण आदेश जारी कर प्रतिपक्षी पर रखा है।

किसान कल्याण तथा कृषि (अ.मिताम मिश्र)
विकास विभाग।
अति-सचिव
विधि विभाग।

3

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 196372/2015

WP/20069/2015

[FOR ADMISSION]
Fixed for 18-01-2016
WP-DA-16
Respondent No. 2

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

To,

Sub Divisional Agriculture Officer Farmer Welfare
And Agriculture Department,
Distt. Sehore,
District- Sehore (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 10-12-2015

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/20069/ 2015**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Jivan Singh Thakur** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/20069/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **18-01-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.



Your faithfully

B

DEPUTY REGISTRAR

2 of 3

A3B
2881
19.01.2016

Thursday 10 December 2015 11:12 AM

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ-11/18/2016/14-1

भोपाल, दिनांक 5.3.16

//आदेश//

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम) तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रभारी अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला-सीहोर (म.प्र.) को पक्षकारों के नाम श्री जीवन सिंह ठाकुर सेवानिवृत्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 20069/2015 में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बाताओं के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी ।
- (2) समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा ।

-2-निरंतर

//2//


- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पेरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।
- (5) शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा ।
- (6) शासकीय अधिवक्ता की सहायता ।
- (7) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 - (अ) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट ।
 - (ब) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप ।
 - (स) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची तैयार करेगा जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई हो ।
 - (द) मामले के विरुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।
- (8) मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रक्रम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना ।
- (9) जब भी कोई आदेश/निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना ।
- (10) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना ।
- (11) यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- (12) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये ।
- (13) प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा । तथा इस बाबत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित/छुपी हुई नहीं रह जाये ।
- (14) प्रभारी अधिकारी, नाम दिनोंक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा । निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए ।

-3-निरंतर

//3//

- (15) प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये या किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है तो समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशंसा के साथ तत्काल प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


(अवर सचिव)


मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा
कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

B.

पृ0क्रमांक/एफ-11/18/2016/14-1
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 5.3.16

- माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल की एकल नस्ती क्रमांक अ-3-ब/स्थापना/06-2016 याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी. 20094/2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- संबंधित कलेक्टर जिला सीहोर मध्यप्रदेश।
- संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश।
- प्रभारी अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला-सीहोर (म.प्र.) की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित करेगा। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ ही विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे। (याचिका की छाया प्रति संलग्न है)
- शासकीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- आदेश नस्ती।


अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा
विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

क्रा. / प्र.

B.